



जो कि प्रथमक्ष अपनी आराजी भूमि रकबई 952*71 वर्गमीटर जो खसरा नंबरान 482 व 485 के जुग भाग में ते है तथा सलग्न मान पत्र में परगं लात से दर्शाया गया है जिसकी सीमायें निम्नीलिखित लिखत मौजा सिकन्दरपुर धेरत परगना तहसीलकोत जिला अलीगढ़ के बंगीरये तीनीकता बैनामा द्वारा अन्य भूमि सीहत मातक है जिसमें 334*05 वर्गमीटर भूमि को बंगीरये पिक्रम पत्र दिनांक 17*12*011ई0 जो बही नं01 जिल्द 5058 के पृष्ठ 51/74 नंबर 13365 पर दर्ज है निपयता इमरान खान पुत्र मुन्ने खान निवासी मोहल्ला खेसियान तहसील डिबाई जिला बुलन्दशहर व 454*28 वर्गमीटर भूमि को बंगीरये पिक्रम पत्र दिनांक 13*12*011ई0 जो बही नं01 जिल्द 5058 के पृष्ठ 75/100 में नंबर 13366 पर दर्ज है निपयता अली खान पुत्र मोहापकस निवासी केलानगर अलीगढ़ व 164*48 वर्गमीटर भूमि को अन्य भूमि को बंगीरये पिक्रम पत्र दिनांक 17*12*011ई0 को बही नं01 जिल्द 5068 के पृष्ठ 51/86 नंबर 13536 पर दर्ज है निपयता इमरान खान पुत्र मुन्ने खान निवासी मोहल्ला खेसियान तहसील डिबाई जिला बुलन्दशहर जो उप लिखत कोत जिला अलीगढ़ में दर्ज है द्वारा खरीद की। तीनों प्लॉट एक दूसरे से लगे हुए हैं जिस पर कोई निगमन नहीं है। तथा प्रथमक्ष की ओर से उक्त प्लॉट आज की तारीख तक हर प्रकार के शर्णाद भारबंभ जो रज मानत कुर्की व इस्तान्तरण आदि से पाक साफ है कोई भी राज्य नियमावली भी स्पमे बाधक नहीं है तथा हर प्रकार के भार आदि से पाक साफ है मुझ प्रथमक्ष अपनी उक्त समस्त भूमि रकबा 952*71 वर्गमीटर कुल को की कती

